

राज्य में सड़क सुरक्षा हेतु गठित समितियां

क्र. सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष/सदस्य सचिव	गठन दिनांक / बैठक आयोजित करने की अवधि	उद्देश्य	सदस्य	नामित किये जाने वाले सदस्य
1.	राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा हाई पावर समिति	माननीय मुख्यमंत्री / परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव	12.03.2020	सड़क सुरक्षा	माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण/ नगरीय विकास एवं आवासन/ परिवहन/ स्वायत्त शासन/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ शिक्षा/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं परिवहन/ सार्वजनिक निर्माण/ वित्त/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस यातायात, शासन सचिव, स्वायत्त शासन/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा/ शिक्षा विभाग, सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए 4 गैर सरकारी विशेषज्ञ/ संस्थान/ एनजीओ (नामित) – माननीय मुख्यमंत्री द्वारा	सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए 4 गैर सरकारी विशेषज्ञ/ संस्थान/ एनजीओ
2.	मंत्रिमण्डलीय उप समिति	–	25.11.2019	सड़क सुरक्षा	माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण/ स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन/ परिवहन/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं माननीय राज्य मंत्री, शिक्षा विभाग	–

क्र. सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष/सदस्य सचिव	गठन दिनांक/बैठक आयोजित करने की अवधि	उद्देश्य	सदस्य	नामित किये जाने वाले सदस्य
3.	स्टेट रोड सेफटी काउंसिल	परिवहन मंत्री/प्रमुख शासन सचिव अथवा शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त	03.07.2009 / त्रैमासिक	सड़क सुरक्षा	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज/उच्च शिक्षा/वित्त/ स्वायत्त शासन /माध्यमिक शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा/ परिवहन/आपदा प्रबंधन विभाग, प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात, मुख्य अभियन्ता (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, महाप्रबंधक एनएचएआई, नियंत्रक स्टेट मोटर गैराज, निदेशक सेन्टर फॉर रोड सेफटी सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, चार पहिया /दो पहिया मोटर वाहन निर्माताओं के एक-एक प्रतिनिधि, चार पहिया/ दुपहिया मोटर वाहन डीलर्स के एक-एक प्रतिनिधि, ट्रक ऑपरेटर्स/स्टेज कैरेज /कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के एक-एक प्रतिनिधि, टैक्सी /ऑटो ऑपरेटर्स के एक-एक प्रतिनिधि, प्रत्येक सम्भाग से सड़क सुरक्षा में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के एक-एक प्रतिनिधि – माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन से	चार पहिया/दो पहिया मोटर वाहन निर्माताओं के एक-एक प्रतिनिधि, चार पहिया/ दुपहिया मोटर वाहन डीलर्स के एक-एक प्रतिनिधि, ट्रक ऑपरेटर्स/स्टेज कैरेज /कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के एक-एक प्रतिनिधि, टैक्सी /ऑटो ऑपरेटर्स के एक-एक प्रतिनिधि, प्रत्येक सम्भाग से सड़क सुरक्षा में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के एक-एक प्रतिनिधि

क्र. सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष/सदस्य सचिव	गठन दिनांक/बैठक आयोजित करने की अवधि	उद्देश्य	सदस्य	नामित किये जाने वाले सदस्य
4.	यातायात प्रबंधन समिति	मुख्य सचिव/ परिवहन आयुक्त	10.04.2017 / त्रैमासिक	राज्य में प्रमुख शासन सचिव, गृह/यातायात/ नगरीय/विकास/सार्वजनिक निर्माण विभाग /चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/शिक्षा विभाग, पुलिस महानिदेशक, अध्यक्ष राज्य पथ परिवहन निगम/राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सड़क सुरक्षा में कार्य करने वाली 2 स्वयं सेवी संस्थाओं के उपाय	राज्य में प्रमुख शासन सचिव, गृह/यातायात/ नगरीय/विकास/सार्वजनिक निर्माण विभाग /चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/शिक्षा विभाग, पुलिस महानिदेशक, अध्यक्ष राज्य पथ परिवहन निगम/राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सड़क सुरक्षा में कार्य करने वाली 2 स्वयं सेवी संस्थाओं के उपाय	सड़क सुरक्षा में कार्य करने वाली 2 स्वयं सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष – मुख्य सचिव द्वारा

जिले में सड़क सुरक्षा हेतु गठित समितियां

क्र. सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष/सदस्य सचिव	गठन दिनांक/बैठक आयोजित करने की अवधि	उद्देश्य	सदस्य	नामित किये जाने वाले सदस्य
1	संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति	संबंधित जिले से माननीय संसद सदस्य (एक से अधिक होने की स्थिति में वरिष्ठ) (लोकसभा) / जिला कलेक्टर	19.12.2019	सड़क प्रयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए	पुलिस अधीक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद / नगर निगम या विकास प्राधिकरण के मेयर अथवा अध्यक्ष / जिले के सभी विधान सभा सदस्य (एमएलए) / जिलों के सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट / अध्यक्ष द्वारा नामित 3 गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) / स्टेक होल्डर विभागों, संस्थानों और ऑटोमोबाइल डीलरों के जिला स्तरीय अधिकारी (डीएलओ) / ड्रेड एसोसिएशन का प्रतिनिधि / जिला सिविल सर्जन / जिला शिक्षा अधिकारी / जिले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के वरिष्ठ अधिकारी / जिले के लिए पीडब्ल्यूडी का राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन का प्रभारी अधिकारी / जिले के लिए एनएचएआई का प्रभारी अधिकारी / जिला मुख्यालय से परिवहन विभाग से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अथवा सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ)	3 गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) – अध्यक्ष द्वारा

क्र. सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष/सदस्य सचिव	गठन दिनांक /बैठक आयोजित करने की अवधि	उद्देश्य	सदस्य	नामित किये जाने वाले सदस्य
2	जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति	कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/प्रादेशिक अथवा जिला परिवहन अधिकारी	28.06.2008 /त्रैमासिक	राज्य में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने, प्रटूषण नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय	जिला पुलिस अधीक्षक, जिला प्रमुख, जिले के समस्त विधायकगण, अध्यक्ष नगर पालिका/परिषद्/निगम, अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, सचिव नगर विकास न्यास, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं के 2 प्रतिनिधि अथवा सामाजिक कार्यकर्ता, ट्रक एवं बस ऑपरेटर्स के एक-एक प्रतिनिधि, उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शिक्षा), जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं के 2 प्रतिनिधि अथवा सामाजिक कार्यकर्ता, ट्रक एवं बस ऑपरेटर्स के एक-एक प्रतिनिधि – परिवहन विभाग द्वारा (मुख्यमंत्री कार्यालय से नामांकन प्राप्त होने के पश्चात)

क्र. सं.	समिति का नाम	अध्यक्ष/सदस्य सचिव	गठन दिनांक/बैठक आयोजित करने की अवधि	उद्देश्य	सदस्य	नामित किये जाने वाले सदस्य
1	उपखण्ड स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति	उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट/जिला परिवहन अधिकारी या उसका प्रतिनिधि	18.07.2016 / त्रैमासिक	राज्य में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने, प्रदूषण नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय	क्षेत्रीय वृत्ताधिकारी पुलिस/यातायात शाखा प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय तहसीलदार, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी/आयुक्त, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपखण्ड स्तर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि, बस/ट्रक/अन्य ऑटोमोबाइल एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि, वाहन डीलर एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि, कॉरपोरेट क्षेत्र का एक प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित स्थानीय सांसद/विधायक, स्थानीय पंचायत समिति प्रधान, सभापति क्षेत्रीय नगरपालिका/नगरपरिषद	सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि, बस/ट्रक/अन्य ऑटोमोबाइल एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि, वाहन डीलर एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि, कॉरपोरेट क्षेत्र का एक प्रतिनिधि

